[सीसीएस (सीसीए) नियमों के नियम 18]

[Rule 18 of CCS (CCA) Rules]

फॉर्म नंबर III/Form No. III

प्रथम नियुक्ति /31 तारीख \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌\_\_\_\_\_\_\_\_ को चल संपत्ति का विवरण

Statement of movable property on first appointment/as on 31st \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्रम. संख्याSl. No. | मदों का विवरणDescription of items | अधिग्रहण के समय सम्पत्ति की कीमत और/अथवा भाडा –क्रय अथवा किस्त पर खरिदी गई वस्तुयो के मामले में सम्पत्ति का विवरण भरने की तारीखतक किया गया कुल भुगतान, जैसा भी मामला हो ।Price or value at the time of acquisition and/or the total payments made up to the date of return, as the case may be in case of articles purchased on hire purchase or instalment  | यदि स्वयं के नाम पर नहीं है तो उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके नाम पर सम्पत्ति है और सरकारी सेवक के साथ उस वयक्ती का संबंध है ।If not in own Name, Name and address of the person in whose name and his/her relationship with the government servant | अधिग्रहण की अनुमानित तिथि सहित बतायें कैसे अधिग्रहित की गई ।How acquired with approximate date of acquisition | टिप्पणियांRemarks |
|  |  |  |  |  |  |
| दिनांक:Date: |  |  | हस्ताक्षर:Signature: |  |  |
|  |  |  | नाम:Name: |  |  |
|  |  |  | पद: / Designation: |  |  |

नोट I: इस फॉर्म में निम्न्लिखित मदों के बारे में जानकारी दी जा सकती है, (ए) उसके स्वामित्व वाले आभूषण (कुल मूल्य), (बी) चांदी और अन्य कीमती धातुओं और उसके स्वामित्व वाले कीमती पत्थरों जैसी, जो आभूषण (कुल मूल्य) का हिस्सा नहीं हैं; (सी) (i) मोटर कार, (ii) स्कूटर/मोटर साइकिल, (iii) रेफ्रिजरेटर/एयर कंडीशनर, (iv) रेडियो/रेडियोग्राम/टेलीविजन सेट और कोई अन्य लेख, मूल्य जो व्यक्तिगत रूप से रुपये से अधिक है। 1000/- दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे कपड़े, बर्तन, किताबें, क्रॉकरी, आदि के अलावा एकमुश्त राशि के रूप में जोड़ा गया

NOTE I: In this form, information may be given regarding items like (a) jewellery owned by him/her (total value), (b) silver and other precious metals and precious stones owned by him not forming part of jewellery (total value); (c) (i) Motor cars, (ii) Scooters/Motor Cycles, (iii) refrigerators/air-conditioners, (iv) radios/radiograms/television sets and any other articles, the value if which individually exceeds Rs. 1000/- other than articles of daily use such as clothes, utensils, books, crockery, etc., added together as lump sum.

नोट 2: कॉलम 5 में, यह संकेत दिया जा सकता है कि संपत्ति खरीद, विरासत, उपहार या अन्यथा द्वारा अर्जित की गई थी।

NOTE 2: In column 5, may be indicated whether the property was acquired by purchase, inheritance, gift or otherwise.

नोट 3: कॉलम 6 में, विभिन्न लेनदेन के संबंध में प्राप्त की गई मंजूरी या रिपोर्ट के बारे में विवरण दिया जा सकता है।

NOTE 3: In column 6, particulars regarding sanction obtained or report made in respect of various transactions may be given.: